केवल शासकीय उपयोग हेतु

पंचायत निर्वाचन

के लिए

मतदाता सूची

तैयार करने के संबंध में

निर्देश – पुस्तिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

रायपुर

(वर्ष 2014)

प्राक्कथन

1. मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। मतदाता सूची जितनी सही और दोषरहित होगी चुनाव उतने ही साफ सुथरे होंगे। अतः यह आवश्यक है कि मतदाता सूची में ऐसे सब लोगों के नाम सम्मिलित हो जिन्हें कानून के अन्तर्गत मत देने का अधिकार प्राप्त है; और साथ ही ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित उनके महत्वपूर्ण दायित्वों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया है। इसमें पंचायत विधि तथा निर्वाचन नियमों एवं अन्य बातों का समावेश किया गया है, जो विगत पंचायत चुनावों के अनुभव के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतीत हुई।

3. यद्यपि इस बात का प्रयास किया गया है, कि इन निर्देशों में सभी आवश्यक बातें सम्मिलित हो जाएं जिनका संबंध मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में संलग्न विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से होता है फिर भी इन निर्देशों को सर्वसमावेशी नहीं समझा जाना चाहिए और सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों को भी साथ में देख लिया जाना चाहिए।

4. आशा है कि मतदाता सूचियाँ तैयार करने के कार्य से सम्बद्ध अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों का सावधानी से अनुशीलन करेंगे ताकि पंचायतों के निर्वाचन के लिये सही मतदाता सूचियाँ तैयार हो सके।

5. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन संबंधी ऐसे निर्देश जो मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2000 के पहले जारी किए गए थे, उन सभी निर्देशों/अनुदेशों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, के द्वारा अनुकूलन करा लिया गया है तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 3133/पं./वेट/2002 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन्–2000) दिनांक 23 अक्टूबर 2002 द्वारा प्रवृत्त किया गया है।

रायपुर
वर्श – 2014

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर

विषय–सूची

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ
1.	मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान	1
2	मतदाता सूची तैयार करना	5
3.	मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन	9
4.	दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करना	13
5.	कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना	16
6.	दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा	19
7.	अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन	22
8.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	24
9.	प्रकीर्ण	25

परिशिष्ट

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
एक	मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उद्धरण	26
दो	मतदाता सूची तैयार करने से सम्बन्धित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का उद्धरण	30
तीन	''आधार पत्रक''–ग्राम पंचायत से संबंधित विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित ग्राम और मकान	34
चार	मतदाता सूची	35

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
पांच	पंचायतों की मतदाता सूचियों के संबंध में पूर्व सूचना	38
छः	प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	39
सात	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप	41
आठ	मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना	43
नौ	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा–आवेदन (प्ररूप–क)	45
दस	मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति (प्ररूप–ख)	48
ग्यारह	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति (प्ररूप–ग)	50
बारह	दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण	53
तेरह	मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए सूचना (स्वप्रेरणा से)	54
चौदह	मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए सूचना (स्वप्रेरणा से)	55
पन्द्रह	दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर	56
सोलह	मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए आक्षेपित व्यक्ति को दी जाने वाली सूचना (प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर)	57
सत्रह	अनुपूरक मतदाता सूची	59
अठारह	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना	60
उन्नीस	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील का प्ररूप (प्ररूप–घ)	61

अध्याय–1

मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशासनिक तन्त्र तथा कानूनी प्रावधान

त्रि–स्तरीय पंचायतों (अर्थात् ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत) के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद ''243–ट'' के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक ऐसा ही आनुषांगिक प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 में भी है।

त्रि–स्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची की बुनियादी इकाई ''ग्राम पंचायत'' के लिए तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची होती है। जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के लिए मतदाता सूचियां, उनके निर्वाचन–क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों से मिलकर बनती है।

1. प्रशासनिक तंत्रः

छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 2 (ङ) में, प्रत्येक जिले में पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है। उसके नियंत्रण और सर्वोपरि समन्वयकारी भूमिका के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने, उनके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनका निपटारा करके मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप देने का कार्य रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–2 (ज) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से की जाती है। (वर्तमान समय में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को सम्पूर्ण जिले के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है)। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिए, प्रत्येक विकासखण्ड के लिए, एक या अधिक, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त किये जाते है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है। वर्तमान समय में तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख को पदेन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है.

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन देने तथा उनके कार्य के पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य निम्नांकित है :–

(i) प्रत्येक विकासखण्ड या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियॉ तैयार करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करना और उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना।

(ii) मतदाता सूचियों के प्रारंभिक प्रकाशन के लिए आवश्यक प्रचार–प्रसार करना

(iii) मतदाता सूचियों का आम नागरिकों द्वारा निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए केन्द्र (स्थान) निर्धारित करना और वहां पर आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना।

(iv) निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उन्हें आवश्यक प्ररूप (फार्म) तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

(v) दावों तथा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचियों के मुद्रण की व्यवस्था करना तथा मुद्रण के उपरान्त सूचियों का अंतिम प्रकाशन करना।

(vi) अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियां, सभी कागज–पत्रों सहित (जिनमें प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावों और आपत्तियों से सम्बन्धित प्रकरण और उनमें पारित आदेश सम्मिलित हैं) जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना और उन्हें सुरक्षा अभिरक्षा में रखना।

(vii) अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का सशुल्क निरीक्षण करने या उनके किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने तथा सूचियों के विक्रय की व्यवस्था करना।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील कर सकता है। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 2 (ख) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी/कलेक्टर/सहायक कलेक्टर को अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. कानूनी प्रावधानः

(1) अधिनियमः– छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत मतदाताओं की अर्हता या निरर्हता तथा मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में जो प्रावधान हैं, उनका उद्धरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

(2) नियमः– उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए "निर्वाचन नियम" "छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995" कहलाते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित प्रावधान परिशिष्ट–दो पर उद्धृत हैं।

3. पदाभिहित अधिकारीः

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन अधिकारियों को पंचायतों की मतदाता सूचियों रजिस्ट्रीकृत करने के लिये नियम 9(2) के अंतर्गत, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 2(ख) के अंतर्गत अपील प्राधिकारी पदाभिहित किया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	रजिस्ट्रीकरण कार्य से संबंधित पद जिसके लिए पदाभिहित किया गया है	धारित मूल पद	अधिकार क्षेत्र
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)	सम्पूर्ण जिला
2.	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/अधीक्षक/ सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र/ग्राम पंचायतें
3.	अपील अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या कोई संयुक्त/डिप्टी/सहायक कलेक्टर	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट राजस्व अनुभाग, तहसील या खंड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र)

4. मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए अर्हता और निरर्हताः–

(i) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जाएगी।

(ii) मतदाता सूची तैयार करने के लिये अर्हकारी तारीख (Qualifying date) उस वर्ष की पहली जनवरी होगी, जिस वर्ष में उसे तैयार किया जाए।

(iii) मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिए अर्हता :–

कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार होगा, यदि वह –

(क) अर्हकारी तारीख को (अर्थात् उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन) 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,

(ख) उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी (अर्थात् सामान्यतः निवासी) है, और

(ग) विधान सभा की निर्वाचक नामावली में (जो कि उक्त वार्ड से संबंधित हो) नाम दर्ज किए जाने के लिये अन्यथा अर्हित है।

(iv) मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये निरर्हता :–

कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने के लिये अयोग्य (निरर्हित) होगा, यदि वह –

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) पागल (विकृत चित्त का) है या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है, या

(ग) प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष–सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि या ऐसी कम कालावधि जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करें, नहीं बीत गई हो, या

(घ) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है।

(ङ) जो फिलहाल चुनाव के संबंध में, भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत मतदान करने के लिये अयोग्य है।

(v) किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो कि नाम दर्ज कर लिये जाने के पश्चात् निरर्हित हो जाता है, उस मतदाता सूची में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगाः

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि निरर्हता के कारण मतदाता सूची में से काटा गया है, उस सूची में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरर्हता समाप्त हो जाए या विधिवत हटा दी गई हो।

******

अध्याय–2

मतदाता सूची तैयार करना

1. पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करनाः–

(1) त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची, विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली (अर्थात् तत्समय प्रभावशील निर्वाचक नामावली) के आधार पर, ग्राम पंचायतवार, तैयार की जाएगी. इस हेतु उप–जिला निर्वाचन अधिकारी (जो कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी है) द्वारा जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की प्रचलित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां, जिला कार्यालय की निर्वाचन शाखा से प्राप्त किए जाएं अथवा निर्वाचन नामावली की सी.डी. राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय से प्राप्त की जाएं और उन्हें विकासखण्डवार भागों में बांटा जाए। तत्पश्चात् प्रत्येक विकासखण्ड से सम्बन्धित भाग सम्बन्धित तहसीलदार को उपलब्ध कराये जाएं, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की विकासखण्डवार प्रतियां तैयार कराते समय इस बात की सावधानी से जांच की जाए कि वे पूर्ण और सुसंगत हैं और उनके साथ संलग्न अनुपूरक सूचियां अद्यतन हैं।

प्राप्त निर्वाचक नामावली के आधार पर, तहसीलदार द्वारा (जो कि सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित है) विकासखण्डवार ग्राम पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए। इस कार्य में तहसीलदार द्वारा अपने अन्य सहयोगी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (अपर/नायब तहसीलदारों) और सम्बन्धित विकासखण्ड/जनपद पंचायत के विकासखण्ड अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता ली जाए। सामान्यतया प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जिला पंचायत के एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों (अर्थात् 25 से 35 ग्राम पंचायतों) से सम्बन्धित कार्य का दायित्व सौंपा जाए, परन्तु उपलब्ध सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या कम होने पर प्रत्येक को उक्त संख्या से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्य सौंपा जा सकता है। यह कार्य तहसील या खण्ड कार्यालय में निम्नानुसार सम्पन्न किया जाए :–

(i) सर्वप्रथम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में प्रत्येक ग्रामों को चिन्हित किया जाए और फिर प्रत्येक ग्राम में मकानों की अवस्थिति (लोकेशन) के अनुसार उनके समक्ष, हाथ से उस वार्ड का क्रमांक (नंबर) लिखा जाए जिसके अंतर्गत वे मकान आते हैं।

(ii) तत्पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये, उसके विभिन्न वार्डों और मकानों और मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला एक ''आधार पत्रक'' **परिशिष्ट–तीन** के अनुसार तैयार किया जाए।

(iii) उपरोक्तानुसार तैयार किए गए ''आधार–पत्रक'' का मौके पर, वार्डों की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान किया जाए। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है, ताकि किसी

वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंदर स्थित कोई भी मकान/आवास–स्थान उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित होने से रह न जाए और न ही उसमें ऐसा कोई मकान/आवास स्थान सम्मिलित होने पाए जो वस्तुतः उस वार्ड की अधिसूचित सीमा के अंतर्गत न होकर, उसके बाहर (अर्थात् किसी अन्य वार्ड में) स्थित है. मिलान का यह कार्य सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, संबंधित हल्का पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिव की संयुक्त टीम से कराया जाए। मिलान में कोई गलती पाई जाने पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वार्ड की मतदाता सूची को तद्नुसार सुधार लिया जाए।

(2) मतदाता सूची की पाण्डुलिपि तैयार करनाः–

आधार–पत्रक (परिशिष्ट–तीन) की जांच पड़ताल हो जाने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की पाण्डुलिपि (हस्तलिखित प्रति) तैयार करने के कार्य के लिये तहसीलदार द्वारा अपने सहयोगी अपर/नायब तहसीलदारों सहित, विभिन्न शासकीय कार्यालयों के कुछ चुने हुए कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित तारीख/तारीखों को अपने कार्यालय या विकासखण्ड मुख्यालय में एक साथ बुलाया जाए। इस कार्य हेतु उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाय जिनका हस्त–लेखन अच्छा हो। चयनित प्रत्येक कर्मचारी को 5 से 10 ग्राम पंचायतों की पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य सौंपा जाए। यह कार्य तहसीलदार द्वारा अपनी स्वयं और अपने सहयोगी अपर/नायब तहसीलदारों की देख–रेख में सम्पन्न कराया जाए।

पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विधान सभा की निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित भाग अनुक्रमांक के साथ संलग्न अनुपूरक सूची में दर्ज परिवर्धन (अर्थात् जोड़े हुए अतिरिक्त नाम), संशोधन (अर्थात् प्रविष्टियों में की गई त्रुटियों का सुधार) तथा विलोपन (अर्थात् नामावली में से विलोपित नाम) मूल सूची में एकीकृत (इन्टीग्रेड) कर दिये जाएं। दूसरे शब्दों में, अनुपूरक सूची में जो भी परिवर्धन दर्ज हों उन्हें मूल निर्वाचक नामावली में सही स्थान पर, (अर्थात् सुसंगत मकान नंबर के पास) लाल स्याही से दर्ज किया जाए। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों (अर्थात् मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम तथा आयु) में त्रुटियों के सुधार से संबंधित जो संशोधन हुए हों, उन्हें भी मूल नामावली में यथास्थान लाल स्याही से सुधार दिया जाए। ठीक इसी प्रकार, जो नाम मृत्यु या ग्राम छोड़कर चले जाने से या पात्रता न रहने के कारण अनुपूरक सूची में विलोपन शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज हों, वे यदि मूल नामावली में लाल स्याही से न कटे हुए हों तो उन्हें लाल स्याही से काट दिया जाए। तदुपरान्त नामावली के प्रत्येक भाग अनुक्रमांक में सम्मिलित मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) सिलसिलेवार 1 से अंत तक नए सिरे से दिए जाएं।

उपरोक्त कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के पश्चात्, आधार–पत्रक (परिशिष्ट–तीन) के आधार पर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की, वार्डवार, पाण्डुलिपि, **परिशिष्ट–चार** के अनुसार तैयार किये जाए। पाण्डुलिपि में प्रविष्टियों का क्रम निम्नानुसार रहेगाः–

(1) क्रमांक,
(2) गृह क्रमांक (मकान नंबर),
(3) मतदाता का नाम,
(4) मतदाता के पिता/पति का नाम,
(5) पुरूष महिला,
(6) आयु (जिस वर्ष सूची तैयार की गई है उस वर्ष की पहली जनवरी को)।

पाण्डुलिपि में प्रविष्टियों को ''रनिंग मैटर'' की तरह, दो स्तम्भों (कालम्स) में लिखा जाए और प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर, बाईं ओर ग्राम पंचायत का नाम तथा बीच में पृष्ठ क्रमांक लिखा जाए। सूची में सम्मिलित प्रत्येक वार्ड का क्रमांक, कोष्ठक में सम्बन्धित गांव के नाम सहित, सूची की शुरूआत में, एक उप–शीर्षक के तौर पर, बड़े अक्षरों में अंकित किया जाए जिससे यह आसानी से देखा जा सके कि सूची में वार्ड, किस गांव में है और कहां से (अर्थात् किस गृह क्रमांक से) शुरू हो रहा है और कहां पर समाप्त हो रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत की पाण्डुलिपि के प्रथम पृष्ठ के शुरू के आधे भाग को कोरा छोड़ दिया जाए ताकि सूची पूरी बन जाने पर, उसमें **परिशिष्ट–चार** में दिए गए नमूने के अनुसार सार–विवरण (गोशवारा) अंकित किया जा सके। प्रत्येक वार्ड और (यदि वार्ड में एकाधिक भाग हों तो) प्रत्येक भाग–क्रमांक की मतदाता सूची में मतदाताओं के सरल क्रमांक, सदैव क्रमांक 1 से प्रारम्भ किए जाएं।

किसी वार्ड (या उसके किसी भाग क्रमांक की) पाण्डुलिपि तैयार हो जाने पर उसके अंत में संबंधित कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करेगा। साथ ही, सूची के प्रथम पृष्ठ के प्रारंभिक अर्धभाग में, जो कि कोरा छोड़ दिया गया था ताकि सूची बन जाने पर, उसमें **परिशिष्ट–चार** में दिये गये नमूने के अनुसार, सार–विवरण (गोशवारा) अंकित किया जा सके।

मतदाता सूची में ग्राम पंचायत के एक वार्ड के बाद एक, क्रमानुसार रखे जाये परन्तु सूची में मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नंबर) सम्पूर्ण ग्राम पंचायत के लिए क्रमांक 01 से प्रारंभ कर अंत तक सिलसिलेवार लिखे जाए।

ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की पाण्डुलिपि तैयार हो जाने पर उसके अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मचारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएं। साथ ही, सूची के प्रथम पृष्ठ के प्रारंभिक अर्द्धभाग में, जो कि कोरा छोड़ दिया गया था, **परिशिष्ट–चार** में दिए गए नमूने के अनुसार, सार–विवरण (गोशवारा) दर्ज किया जाए। तत्पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत की पाण्डुलिपि की, वरिष्ठ स्तर के कुछ अन्य कर्मचारियों से जांच कराई जाए और यदि जांच में कोई त्रुटियां पाई जाएं तो उन्हें सुधार दिया जाए। जांच करने वाले कर्मचारी द्वारा भी जांच के पश्चात् सूची के अन्त में अपने हस्ताक्षर किए जाएं।

विशेष टीपः

उपरोक्त विवरण से यह देखा जाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के उप–निर्वाचन के संदर्भ में, केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूचियाँ, विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली के आधार पर तैयार की जानी है जो जिला पंचायत/जनपद पंचायत के ऐसे रिक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती है

जिसमें सदस्य का उप–निर्वाचन होना है या जिनमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान के लिये उप–निर्वाचन होना है। शेष निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मामलें में, मतदाताओं के दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए, पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूचियाँ सार्वजनिक निरीक्षण के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा संबंधित जनपद पंचायत के कार्यालय में रखना पर्याप्त है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश अध्याय–3 की कंडिका–5 में दिए गए है।

(3) पाण्डुलिपि की नमूना जांचः–

जिस सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत आती है उसके द्वारा स्वयं भी पाण्डुलिपि की नमूना की जांच की जाए और उसके पूर्ण और सही होने के संबंध में संतुष्टि हो जाने पर उसके अंतिम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर के साथ पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए।

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस बात की विशेष तौर पर जांच की जाए कि क्या सूची में विकासखण्ड के सामान्यतः निवासी संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य के नाम तथा जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों के नाम सम्मिलित हैं या नहीं ? यदि इनमें से किसी का नाम छूट गया हो तो उसे जोड़ा जाए और सूची की एक बार पुनः सावधानी से संवीक्षा की जाए।

उपरोक्तानुसार विकासखण्ड के अंतर्गत आनेवाले समस्त ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों की पाण्डुलिपियाँ तैयार हो जाने पर, तहसीलदार द्वारा उन्हें विकासखंडवार (जनपद पंचायतवार) समेकित कर के उनकी एक फोटो कापी तैयार कराकर दो सेट बनाया जाए। मूल सेट अपनी अभिरक्षा में रखते हुए, उसके द्वारा फोटो कापी वाला ''सेट'' जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को मुद्रणार्थ भेज दिया जाए।

(4) मतदाता सूची का मुद्रणः–

विभिन्न प्रयोजनों के लिये (ग्राम पंचायतवार) साधारण निर्वाचन के लिये मतदाता सूची की 50 प्रतियों तथा उप निर्वाचन के लिये 15 प्रतियों की आवश्यकता अनुमानित है। अतएव जिला स्तर पर मुद्रण की तदनुसार कार्यवाही की जाए। सूची के पहले पृष्ठ को छोड़कर, जिस पर केवल सार–विवरण (गोशवारा) मुद्रित किए जाने के कारण सामान्यतया केवल 6 से 10 मतदाताओं के नाम रहेंगे, बाद के प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 90 मतदाताओं के नाम मुद्रित किए जाने चाहिए। अतएव, यदि किसी ग्राम पंचायत में लगभग 1000 मतदाता हों तो, मुद्रित सूची का आकार 11 या 12 पृष्ठों का रहेगा।

मुद्रित प्रति की ''प्रूफ रीडिंग'' का दायित्व संबंधित खण्ड के सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार) का होगा। यह कार्य बहुत सावधानी से किया जाना अपेक्षित है, ताकि सूची में कोई बड़ी गलतीः:– जैसे कि किसी मतदाता का नाम छूट जाना या किसी कटे हुए नाम का मुद्रित हो जाना आदि, न रहने पाए।

*****

अध्याय–3

मतदाता सूची के निरीक्षण की व्यवस्था और उसका प्रकाशन

1. मतदाता सूची के निरीक्षण तथा दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिये केन्द्रों (स्थानों) का निर्धारणः

ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाने पर उन्हें सर्वसाधारण के निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराने और उनके बाबत् दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था निम्नांकित केन्द्रों (स्थानों) पर की जाए :–

(i) संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय,

(ii) संबंधित जनपद पंचायत का कार्यालय,

(iii) संबंधित ग्राम पंचायत का कार्यालय।

2. प्रचार–प्रसारः

(1) उपरोक्त केन्द्रों (स्थानों) के बाबत् जहां कि मतदाता सूचियां सार्वजनिक निरीक्षण के लिये रखी जाना प्रस्तावित हों, व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इस हेतु सूचियों के प्रकाशन के कम से कम 3 दिन पूर्व, परिशिष्ट–पांच में दिए गए प्ररूप में ऐसे स्थानों पर एक सूचना प्रदर्शित किए जाए। सूचना प्रदर्शन संबंधित प्रत्येक ग्राम में सहज दृश्य स्थान (यथा पाठशाला, उचित मूल्य की दुकान, आंगनवाड़ी केन्द्र, कोई सामुदायिक भवन आदि) में भी किया जाए। साथ ही सूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत सदस्य को भी भेजी जाए। स्थानीय समाचार पत्रों तथा क्षेत्रीय आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों से भी इस सम्बन्ध में प्रचार कराया जाए।

3. प्रशासनिक व्यवस्थाः

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये निर्धारित प्रत्येक केन्द्र (स्थान) में एक कर्मचारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। सूची का निरीक्षण कराने तथा दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपयुक्त कर्मचारियों का चयन मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कर लिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारी निम्नांकित हो सकते हैं :–

(i)	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में	कार्यालय का कोई कर्मचारी या पटवारी
(ii)	जनपद पंचायत कार्यालय में	कोई पटवारी या स्थानीय किसी शासकीय कार्यालय का कोई कर्मचारी या स्थानीय विद्यालय का कोई शिक्षक।
(iii)	ग्राम पंचायत कार्यालय में	हल्का पटवारी या सहायक कृषि विस्तार अधिकारी या सहायक विकास विस्तार अधिकारी या स्थानीय शाला का कोई शिक्षक।

चयनित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश परिशिष्ट–छः में दिये गये प्ररूप में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएं। परन्तु आदेश जारी करने के पूर्व चयनित कर्मचारियों की सूची का अनुमोदन जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाए।

जहां तक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रश्न है, सामान्यतया प्रत्येक विकासखंड के तहसीलदार/अपर तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाए परन्तु जिले में उपलब्ध तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों की संख्या कम होने पर नायब तहसीलदारों को भी सहायक रजिस्ट्रीकरण नियुक्त किया जा सकता है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से परामर्श करके तैयार किया जाए। नियुक्ति आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व, जारी कर दिए जाएं. नियुक्ति आदेश परिशिष्ट–सात में दिये गये प्ररूप में जारी किए जाएं।

(2) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व किसी एक दिन, निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) के लिए नियुक्त किये गये समस्त प्राधिकृत कर्मचारियों को अपने कार्यालय या विकासखंड मुख्यालय में बुलाकर उनके प्रशिक्षण का आयोजन किया जाए। उन्हें मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित निर्देश पुस्तिका तथा उनके प्रभार के क्षेत्र की मतदाता सूची की एक प्रति के साथ अन्य आवश्यक सामग्री का प्रदाय भी किया जाए।

(3) जिन केन्द्रों (स्थानों) में प्राधिकृत कर्मचारियों को कार्य करना है उनका सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पहले से ही निरीक्षण करके, वहां बैठने और कार्य करने के लिये समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाएं।

(4) प्रकाशित सूची की सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व निरीक्षण केन्द्र (स्थान) पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी का होगा और उसे दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित दिन पूरे समय वहां पर निरन्तर उपस्थित रहना आावश्यक है।

(5) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सूची के निरीक्षण और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित केन्द्रों (स्थानों) का बीच–बीच में निरीक्षण किया जाए और यदि वहां कार्य संचालन में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा हो तो उसे तत्परता से दूर किया जाए।

(6) दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये निर्धारित केन्द्र (स्थान) में मतदाता सूची के निरीक्षण हेतु आने वाले लोगों को बैठने के लिये समुचित व्यवस्था की जाए। प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे तथा आपत्ति के प्ररूपों (फार्मों) के एक–एक नमूने अपने कक्ष में किसी सहज दृश्य स्थान पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किए जाएं।

(7) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मचारियों को दावे तथा आपत्तियों से संबंधित कार्य सम्पादन के लिए निम्नांकित सामग्री उपलब्ध कराई जानी होगी। अतएव इनकी पहले से व्यवस्था कर ली जाएः–

(i) दावे तथा आपत्तियों के निर्धारित प्ररूप (फार्म)–''क'', ''ख'' तथा ''ग''
(परिशिष्ट–नौ, दस एवं ग्यारह)।

(ii) दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण (परिशिष्ट–बारह)।

(8) प्रत्येक प्राधिकृत कर्मचारी उस सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से सम्बद्ध रहेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की किसी केन्द्र (स्थान) में उसे नियुक्त किया गया है और उसी के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

4. मतदाता सूची का प्रकाशन

उस तारीख को, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की गई हो, मतदाता सूची आम लोगों के निरीक्षण के लिये प्रकाशित कर दी जाए। इस हेतु (छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 10 (1) के अंतर्गत) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तथा निम्नांकित कार्यालयों में से प्रत्येक के नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट–आठ** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाएः–

(1) कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार)

(2) कार्यालय, जनपद पंचायत,

(3) कार्यालय, ग्राम पंचायत.

---

5. त्रिस्तरीय पंचायतों के उप–निर्वाचन के सम्बन्ध में विशेष उपबन्धः

(1) किसी ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच के रिक्त स्थान को भरने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मतदाता सूची को पुनरीक्षित किया जाना जरूरी है। इसी प्रकार जिला पंचायत या जनपद पंचायत के सदस्य के किसी रिक्त स्थान को भरने के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का पुनरीक्षण आवश्यक है। इस हेतु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत में उस ग्राम पंचायत की (अध्याय 2 के प्रावधान अनुसार तैयार की गई) प्रारंभिक मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने और उनमें प्राथमिक जांच करके उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए एक प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किया जाए। प्राधिकृत कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा उनके माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों के निराकरण का कार्य सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तौर पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा स्वयं किया जाए। कदाचित यदि खण्ड में ग्राम पंचायतों की संख्या 20 से अधिक हो तो कार्य का एक भाग ऐसे अन्य अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार को सौंपा जा सकता है जो कि सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित हो।

(2) जिला पंचायत या जनपद पंचायत के उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर जिसमें उप–निर्वाचन होना है अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण और मुद्रण आवश्यक नहीं है। फिर भी उनका प्रारम्भिक प्रकाशन करना और उनके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर सुलभ कराना जरूरी है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जिला पंचायत या जनपद पंचायत के उप–निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो सकता है। अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत सामान्यतः निवास करने वाले मतदाताओं को दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कराने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की प्रचलित मतदाता सूचियों को अर्थात् जो कि पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई हों, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए निम्नांकित कार्यालयों में रखा जाए और वहीं पर निर्धारित अवधि के दौरान उनके सम्बन्ध में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएः–

(i) कार्यालय, सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अर्थात् कार्यालय तहसीलदार/अपर तहसीलदार);

(ii) कार्यालय, सम्बन्धित जनपद पंचायत।

प्रस्तुत दावों और आपत्तियों में जांच और सुनवाई के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अध्याय–7 के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप से संशोधित किया जाए।

टीपः– यहां पर यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–14 के अन्तर्गत पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त (प्रभावशील) रहती है जब तक कि उसे पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता। चूंकि किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में कराए जाने वाले उप–निर्वाचन में सामान्यतया उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के मतदातागण मतदाता सूचियों के संशोधन में कोई विशेष रूचि प्रदर्शित नहीं करते, अतएव शेष निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण (अर्थात् विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों के आधार पर उन्हें नए सिरे से तैयार करना और उनमें संशोधन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त करना आदि) अनावश्यक है। और न ही ऐसी सूचियों का, पुनरीक्षण के पश्चात् मुद्रण आवश्यक है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या किसी प्रविष्टि को संशोधित या विलोपित कराने के इच्छुक मतदाताओं को इस हेतु समुचित अवसर देने के लिए पिछले निर्वाचन के समय तैयार की गई मतदाता सूची के प्रारम्भिक (प्ररूप) सूची के तौर पर उपयोग में लाया जाना और इस प्रयोजन के लिए केवल उपर्युक्त कार्यालयों (अर्थात् खण्ड स्तरीय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय और जनपद पंचायत के कार्यालय में) व्यवस्था करना सर्वथा विधिसम्मत है और पर्याप्त है।

*****

अध्याय–4

दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना

(1) मतदाता सूची के निरीक्षण के लिये निर्धारित स्थान पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को दावे या आपत्तियां प्रत्येक कार्यकारी दिन कार्यालय समय के दौरान (अर्थात् प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) कभी भी परन्तु अंतिम दिन 3.00 बजे अपरान्ह तक, प्रस्तुत किये जा सकते हैं. प्राधिकृत कर्मचारी को उक्त अवधि के दौरान बराबर निर्धारित स्थान में उपस्थित रहना चाहिए। यदि कोई मतदाता चाहे तो सीधे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है या डाक से भेज सकता है।

(2) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा दावे, आपत्ति या प्रविष्टियों के संशोधन के लिये निर्धारित प्ररूप (फार्म) मांगे जाने पर तत्परता से प्रदाय किया जाए।

(3) सामान्यतया व्यक्तिशः प्रस्तुत आवेदन–पत्र ही स्वीकार किये जाएं, लेकिन यदि एक ही परिवार के सदस्यों के संबंधित आवेदन पत्र परिवार का कोई सदस्य इकट्ठा प्रस्तुत करे तो उन्हें ग्रहण कर लिया जाए। यदि कोई अन्य व्यक्ति द्वारा (भले ही वह किसी राजनैतिक दल का प्रतिनिधि क्यों न हो) दावे और आपत्तियां थोक में प्रस्तुत की जाएं तो उन्हें ग्रहण न किया जाए तथा ऐसे प्रस्तुतकर्ता को सलाह दी जाए कि वह संबंधित व्यक्तियों से अलग–अलग आवेदन पत्र दिलाए, क्योंकि आवेदकों के दावों और आपत्तियों पर जांच के सिलसिले में उनसे अलग–अलग पूछ–ताछ की जानी होगी।

(4) दावे तथा आपत्तियां निम्नांकित प्रकार की हो सकती हैंः–

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न होना, नाम गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों के साथ उल्लिखित होना तथा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित होना, जो पात्र नहीं है।

आयोग द्वारा विहित प्ररूप (फार्म) में प्रस्तुत किये गये दावे और आपत्तियां ही स्वीकार किये जा सकते हैं किसी अन्य प्रकार के प्ररूप में नहीं। दावे तथा आपत्तियां छपे हुए प्ररूप में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। वे प्ररूप की फोटो कापी, टंकित या चक्रमुद्रित प्रति या हस्तलिखित प्रति में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आयोग द्वारा विहित प्ररूप निम्नांकित हैंः–

(1) दावाः– दावा केवल मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जा सकता है। दावा परिशिष्ट–नौ में उद्धृत ''प्ररूप–क'' में किया जायेगा। दावे के समर्थन में संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी मतदाता के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी है।

यदि कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची के एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतरित करना चाहता हो तो उसके द्वारा भी इसी प्ररूप में दावा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) आपत्तियां.– आपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं, अर्थात्:–

(i) मतदाता सूची में सम्मिलित किसी प्रविष्टि के ब्यौरे (जैसे–मकान नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, आयु) के संबंध में त्रुटि पर आपत्ति.–ऐसी आपत्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है और वह परिशिष्ट–दस में उद्धृत "प्ररूप–ख में की जायेगी।

(ii) मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्तिः– ऐसी आपत्ति किसी मतदाता द्वारा ही की जा सकती है, और वह "प्ररूप–ग" में जो कि परिशिष्ट–ग्यारह में उद्धृत है, प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार की आपत्ति के समर्थन में सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किसी अन्य मतदाता के प्रतिहस्ताक्षर होना जरूरी हैं।

(5) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दावे तथा आपत्ति के संबंध में दावेदार या आपत्तिकर्ता को संगत प्ररूप के अंत में लगी हुई "आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना" हाथों–हाथ दी जाए। इसमें सुनवाई के लिए वह तारीख अंकित की जाए जो दावा या आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की तारीख के ठीक 3 दिन बाद पड़ने वाला कार्यकारी दिवस हो। साथ ही, दावेदार या आपत्तिकर्ता से, प्ररूप में ही मुद्रित पावती पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं या अंगूठे का निशान लगवा लिया जाए।

(6) प्राधिकृत कर्मचारी का कर्तव्य है कि यदि दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति प्ररूप (फार्म) भरने में कोई सहायता चाहे तो उसे आवश्यक सहायता या मार्गदर्शन दें।

(7) प्राधिकृत कर्मचारी, प्रतिदिन, उसे प्राप्त "दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण" परिशिष्ट–बारह में दर्शाये गये प्ररूप में दो प्रतियों में तैयार करेगा। विवरण की एक प्रति प्राप्त दावे और आपत्ति प्ररूपों के साथ, अगले दिन दोपहर से पहले सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज देगा, जबकि दूसरी प्रति अपने कार्यस्थान के नोटिस बोर्ड पर लगायेगा। नोटिस बोर्ड पर लगाई गई प्रति 3 दिन तक न हटाई जाये। यदि किसी दिन कोई दावा या आपत्ति प्राप्त न हो तो भी उस तारीख से संबंधित "निरंक" दैनिक विवरण तैयार किया जाए। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे के बाद प्रस्तुत किसी दावे या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दावे और आपत्ति के संबंध में प्रस्तुतकर्ता से पूछ–ताछ की जाए और उसके आधार पर दावा या आपत्ति के प्ररूप में, सुसंगत स्थान पर, अपनी रिपार्ट दर्ज की जाए। पूछ–ताछ निम्नांकित बिन्दुओं के बाबत् की जानी चाहिएः–

(i) 1 जनवरी को दावेदार की आयु 18 वर्ष की हो जाने के संबंध में क्या प्रमाण है ? स्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि क्या है और यदि ऐसा प्रमाण–पत्र न हो तो क्या अन्य दस्तावेज या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसकी आयु 18 वर्ष है?

यदि मतदाता 18 वर्ष से कहीं अधिक उम्र का हो तो उसके द्वारा पूर्व में नगरपालिका या विधान सभा की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज न कराए जाने का क्या कारण है ? क्या ऐसा कारण संतोषजनक है ?

(ii) उसका मामूली तौर पर निवास का स्थान कहां है और वह क्या करता है ? उसके परिवार में और कौन–कौन लोग हैं ?

(iii) जिस व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण उसका नाम मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने की मांग) की गई है, उसकी मृत्यु कब/कहां हुई?

(iv) जिस व्यक्ति का नाम उस निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने या अन्यत्र चले जाने या अपात्रता के कारण मतदाता सूची में बने रहने पर आपत्ति (तथा नाम हटाये जाने के लिये मांग) की गई है वह कहां रहता है या कब और कहां चला गया या उसकी कथित अपात्रता का आधार क्या है?

(9) प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्ट को मान्य करने के लिये सहायक निर्वाचन अधिकारी बाध्य नहीं है। उससे यह अपेक्षित है कि वह मामले में अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकालें और आवश्यक होने पर अलग से जांच भी करें।

(10) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, प्राधिकृत कर्मचारियों से प्रतिदिन पूर्वान्ह में, पिछले दिन से संबंधित समस्त दावों और आपत्तियों के प्ररूपों को परिशिष्ट–बारह में तैयार किये गये दैनिक विवरण सहित, अपने कार्यालय में मंगाने की समुचित व्यवस्था की जाए।

*****

अध्याय–5

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही करना

1. जिला निर्वाचन अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बहुधा इस आशय की जानकारी/शिकायतें प्राप्त होती हैं कि सूची में सम्मिलित अमुक–अमुक व्यक्ति का नाम हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहः–

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर चला गया है, या

(2) संबंधित ग्राम पंचायत के साथ–साथ किसी अन्य ग्राम पंचायत या किसी नगरपालिका की मतदाता सूची में भी रजिस्ट्रीकृत है, या

(3) मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है।

कभी–भी किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दो–दो स्थानों पर दर्ज होने की शिकायतें भी मिलती है।

लेकिन उपरोक्त प्रकार की शिकायतें करने वाले लोग स्वयं आगे आकर, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान (अर्थात् प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात् दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की समयावधि के दौरान) विहित प्ररूप में आपत्ति नहीं करते। ऐसी शिकायतें यदि जिला निर्वाचन अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त हो तो उन्हें तत्परता से सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास भेज दिया जाना चाहिए। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार के नामों को स्वप्रेरणा से हटाये जाने की कार्रवाई की जा सकती है। प्राप्त शिकायत या जानकारी प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने की आश्वस्ति हो जाने पर, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसका अभिज्ञान लेते हुए स्वप्रेरणा से एक प्रकरण पंजीकृत किया जाए और संबंधित व्यक्ति को अर्थात् जिसका नाम मतदाता सूची में से हटाया जाना प्रस्तावित है उसे, **परिशिष्ट–तेरह** में दिये गये प्ररूप में उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) नोटिस भेजा जाए। मामले में सुनवाई की तारीख, नोटिस जारी होने के 3 दिन बाद की रखी जाए। संबंधित व्यक्ति द्वारा निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या मौखिक या लिखित साक्ष्य पर विचार करने के बाद उसके नाम को मतदाता सूची से हटाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाए।

2. यह भी संभव है कि मतदाता सूची तैयार करते समय असावधानी या गलती सेः

(i) कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम छूट जाएं जिनके नाम विधान सभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में अथवा आयोग की पिछली मतदाता सूची में सम्मिलित थे, या

(ii) किसी मतदाता अथवा कुछ मतदाताओं की प्रविष्टियां उस वार्ड में दर्ज होने के बजाय, जिसके वे मामूली तौर पर निवासी हैं, किसी अन्य वार्ड में दर्ज हो जाएं।

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जानकारी में यदि ऐसी कोई गलती आए तो उसे चाहिए कि वह मतदाता सूची के संशोधन के दौरान ही उसे ठीक करने के लिये उपचारी कार्यवाही करे। ऐसे मामलों में छूटे हुए मतदाताओं के नामों की सूची में सम्मिलित करने अथवा गलत स्थान पर अंकित प्रविष्टियॉं सही स्थान पर अन्तरित करने हेतु सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से एक प्रकरण पंजीकृत करके, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये **परिशिष्ट–चौदह** में एक सूचना प्रकाशित की जाए। सूचना का प्रकाशन, निम्नांकित कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर उसकी प्रतियां चस्पा करके किया जाएः–

(1) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

(2) संबंधित जनपद पंचायत, तथा

(3) संबंधित ग्राम पंचायत

ऐसे मामलों में सुनवाई की तारीख, सूचना के प्रकाशन के 3 दिन बाद की निर्धारित की जाए और निर्धारित तारीख को प्रस्तुत अभ्यावेदन या किसी मौखिक या लिखित आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकरण में समुचित निर्णय किया जाए।

3. (1) बहुधा यह देखा गया है कि मतदाता सूची में ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम बने रहते है, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतदाता सूची से मृतक का नाम हटाये जाने के संबंध में न तो उसके घरवालों द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है और न ही संबंधित वार्ड के किसी मतदाता द्वारा इस संबंध में प्रारंभिक सूची के प्रकाशनोपरान्त कोई आपत्ति की जाती है। अतएव इस संबंध में समुचित कार्यवाही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ही की जाना अपेक्षित है।

(2) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु का पंजीकरण आवश्यक है। जिला स्तर पर, जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी को पदेन जिला रजिस्ट्रार घोषित किया गया है। उसके पर्यवेक्षण में यह कार्य नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा संपादित किया जाता है। इस हेतु उक्त अधिनियम, के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में निर्धारित फार्म में एक रजिस्टर रखा जाता है। अतः मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के मृतकों के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस हेतु (सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा) संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को एक पत्र भेजकर उससे विगत कैलेण्डर वर्ष अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच पंजीकृत ऐसे मृतकों की जानकारी प्राप्त की जाए जिनकी आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक थी। यह जानकारी निम्नलिखित प्रपत्र में मंगायी जायेः–

प्रपत्र

विषय.— दिनांक 1 जनवरी.....से 31 दिसंबर.....के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के मृतक की सूची.

क्रमांक	मृतक का नाम	पिता/पति का नाम	मृत्यु के समय आयु	मृतक के निवास स्थान का पता	
				ग्राम	मकान का नम्बर
1. 2. 3. 4. 5.					

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
(थाना प्रभारी)
नाम.....

प्राप्त जानकारी का पुनः सत्यापन आवश्यक नहीं है क्योकि वह कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत संधारित जानकारी है। इसके आधार पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मृतकों के नाम लाल स्याही से काट दिये जाएं और सम्बन्धित ग्राम पंचायत की अनुपूरक मतदाता सूची में, विलोपन शीर्षक के अन्तर्गत, उनका उल्लेख किया जाए। यदि, कदाचित मतदाता सूची में ऐसे किसी मृतक का नाम पहले से ही शामिल न हो तो उसके विलोपन का प्रश्न नहीं उठेगा।

*****

अध्याय–6

दावों और आपत्तियों में जांच और उनका निपटारा

1. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने अधिकार–क्षेत्र के प्राधिकृत कर्मचारियों से, दावे और आपत्तियों के प्ररूपों के साथ जो ''दैनिक विवरण'' (**परिशिष्ट–बारह**) प्राप्त हो, उसमें उल्लिखित प्रकरणों का पंजीकरण, पृथकशः एक ''प्रकरण रजिस्टर'' में किया जाये।

प्रकरण रजिस्टर, **परिशिष्ट–पन्द्रह** में दर्शाये गये प्ररूप में संधारित किया जाये।

2. आपत्तियों से संबंधित ऐसे मामलों में, जिनमें मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई हो, (अर्थात् ''प्ररूप–ग'' में प्राप्त आपत्तियों से संबंधित मामलों में) आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। अतएव इस प्रकार के मामलों में आक्षेपित व्यक्ति को सुनवाई के लिये उसके ज्ञात पते पर (अर्थात् मतदाता सूची में दर्ज मकान तथा वार्ड के पते पर) **परिशिष्ट–सोलह** में दिये गये प्ररूप में, तुरन्त सूचना भेजी जाए। सूचना की 'तामील–रसीद' प्रकरण से संबंधित अभिलेख में रखी जाए। इस सूचना में सुनवाई के लिये वही तारीख अंकित की जाए जो कि आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत कर्मचारी ने 'प्ररूप–ग' में उसकी आपत्ति प्राप्त करते समय संसूचित की हो।

3. *सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त दावों और आपत्तियों पर अथवा स्वप्रेरणा से पंजीकृत प्रकरणों में सुनवाई, उस तारीख को अवश्य करनी चाहिए जो दावेदार या आपत्तिकर्ता को दी गई पेशी तारीख की सूचना में अंकित है।* निर्धारित तारीख को सुनवाई और आवश्यक जांच कर लेने से, न केवल पक्षकारों को सुविधा होती है वरन् कार्य नियमित रूप से निपटता जाता है और आखरी दिनों के लिये काम का बहुत अधिक बोझ इकट्ठा नहीं होने पाता। *सभी दावे और आपत्तियां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित तारीख तक अवश्य निपटा दिए जाने चाहिए*।

4. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का अधिकांश भाग मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिये दावों से संबंधित रहता है। ऐसे दावों में मुख्यतः यह देखा जाना होता है कि क्या दावेदार उस वर्ष की 1 जनवरी को, जिस वर्ष में मतदाता सूची पुनरीक्षित की जा रही है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तथा क्या वह वस्तुतः संबंधित ग्राम का मामूली तौर पर (अर्थात् सामान्यतः) निवासी है।

जहां तक आयु का प्रश्न है, उसके लिये जन्मतिथि का कोई विश्वनीय आधार (जैसे कि परीक्षा प्रमाण–पत्र, पाठशाला पंजी या नगरपालिका के अभिलेख में लिखित जन्मतिथि आदि) उपलब्ध हो तो काम आसान हो जाता है, अन्यथा अनुषांगिक साक्ष्य (जैसे कि भाई–बहनों की आयु) के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए।

जहां तक मामूली निवास स्थान (अर्थात् सामान्यतः निवास के स्थान) का प्रश्न है, यह तथ्य का प्रश्न है कि वह उस स्थान विशेष का निवासी है या नहीं ।

मामूली तौर पर निवासी (सामान्यतः निवासी) का अर्थः

मामूली तौर पर निवासी स्थान (सामान्यतः निवास के स्थान) से आशय उस स्थान से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सामान्यतः सोने के लिये करता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस स्थान पर खाना भी खाता हो। वह भोजन या काम, बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। रहने के ऐसे सामान्य स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति की अनदेखी की जा सकती है। कुछ समय के लिये अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति के सामान्य निवास को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक वह व्यक्ति वहां लौटने में समर्थ है और वहां लौटना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि सांसद और विधायक, भले ही (सांसद या विधायक के रूप में) अपने कार्यकलापों के सिलसिले में अपने रहने के सामान्य स्थान से बाहर रहते हों फिर भी वे अपने नगर या ग्राम में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के हकदार होंगे। यह केवल तथ्य का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान विशेष का सामान्यतः निवासी है या नहीं ? जो व्यक्ति नौकरी या व्यापार के लिये अपने ग्राम या नगर से बाहर चला गया हो उसे स्थान से बाहर गया हुआ ही माना जायेगा। संबंधित ग्राम या नगर में ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे के किसी भवन या अन्य सम्पत्ति से उसे सामान्यतः निवासी की योग्यता प्राप्त नहीं होगी।

जेलों, अस्पतालों आदि में रहने वाले व्यक्ति उन नगरों/वार्डों की मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सकते जिनमें ऐसी संस्थाएं स्थित हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति इन संस्थाओं में अस्थायी अवधि के लिये ही रह रहे होते हैं। यही स्थिति लगभग अधिकांश छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में भी लागू होती है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी संस्था (जैसे कि किसी आश्रम या निकेतन) में लम्बे समय से रह रहा हो और उसका अपने सामान्य निवास के स्थान पर आते–जाते रहने का सिलसिला लम्बे अन्तराल से बन्द हो गया हो, तो उसे उस स्थान का सामान्य निवासी माना जा सकता है, जहां ऐसी संस्था स्थित हो। सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी व्यक्ति को उसके निवास के सामान्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए। भले ही वह वहां से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित भी क्यों न रहता हो, परन्तु उसे ऐसे स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जहां वह अस्थायी रूप से रह रहा हो।

5. संदेहास्पद मामलों में दावेदार/आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है या दावेदार के निवास स्थान/मोहल्ले में जाकर स्थानीय पूछ–ताछ की जा सकती है। यदि किसी क्षेत्र से बाहर बहुत अधिक संख्या में आावेदन–पत्र प्राप्त हुए हों तो उनके उचित और शीघ्र निराकरण के लिये मौके पर ही संक्षिप्त जांच करना बहुत सहायक होगा।

6. दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने और ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उचित समझे, उसके द्वारा अपना निर्णय लेखबद्ध किया

जाए तथा दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा मांग की जाने पर आदेश की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

7. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निपटाए गए समस्त दावों और आपत्तियों का विवरण और उनमें अपने निर्णयों का सार, ''प्रकरण रजिस्टर'' (परिशिष्ट–चौदह) में दर्ज किया जाए। ''प्रकरण रजिस्टर'' की प्रत्येक प्रविष्टि के समक्ष सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जाएं और यदि किसी प्रविष्टि में कोई काट–कूट हो तो वहां पर भी अपने लघु हस्ताक्षर किए जाएं। रजिस्टर के अंतिम पृष्ठ में आखिरी प्रविष्टि के नीचे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर किए जाएं और अपनी मोहर भी लगाई जाए।

*****

अध्याय–7

अंतिम मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन

1. सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ''प्रकरण रजिस्टर'' में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ''अनुपूरक मतदाता सूची'' तैयार करने का कार्य हाथ में लिया जाए। अनुपूरक सूची ''परिशिष्ट–सत्रह'' में दिये गये प्ररूप में तैयार की जाए। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण इसे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत देख–रेख में कराया जाए। इस कार्य में उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाए जो कि पूर्व में मतदाता सूचियों का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये नियुक्त किये गये थे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक अलग अनुपूरक सूची बनाई जाए।

'परिवर्धन' शीर्ष के अंतर्गत जोड़े गये मतदाताओं के सरल क्रमांक (सीरियल नम्बर) मूलसूची की क्रम संख्या के आगे जारी रखी जाये। उदाहरणार्थ, यदि मूल सूची में अंतिम मतदाता की क्रम संख्या 950 हो तो परिवर्धन सूची, क्रमांक 951 से प्रारंभ की जाए और उसे क्रमशः आगे बढ़ाया जाए।

'संशोधन' शीर्ष के अंतर्गत मूल मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के नाम, गृह क्रमांक, आयु आदि प्रविष्टियों की अशुद्धियों को दूर करते हुए उन्हें संशोधित रूप में दर्शाया जाए। जिन मतदाताओं के नाम संशोधन शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किये जाएं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को मूल सूची में लाल स्याही से सुधार दिया जाए।

'विलोपन' शीर्षक के अंतर्गत मूलतः ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित किये जाएं जो किसी भी कारण से संबंधित ग्राम पंचायत में पंजीकृत बने रहने के पात्र नहीं है। जिन मतदाताओं के नाम विलोपन सूची में शामिल किये जाएं उनके नाम मूल सूची में, लाल स्याही से, काट दिये जाएं।

2. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों की अनुपूरक सूचियां उपरोक्तानुसार निर्धारित प्ररूप में तैयार कर लिये जाने के पश्चात् उन्हें क्रमवार व्यवस्थित किया जाए और उन्हें तहसीलदार को सौंप दिया जाए। तहसीलदार द्वारा प्रतियों को विकासखंडवार समेकित करके उनकी एक फोटो काफी कराई जाए। इस प्रकार तैयार किए गए दो सेट्स में से एक सेट अपने पास रखते हुए, उसके द्वारा दूसरा सेट जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणार्थ भेज दिया जाए।

3. अनुपूरक सूचियों का मुद्रणः– जिला स्तर पर, अनुपूरक सूचियों की ग्राम पंचायतवार उतनी ही प्रतियां मुद्रित कराई जाएं जितनी कि मूल मतदाता सूचियों की कराई गई हो। मुद्रण के दौरान ''प्रूफ रीडिंग'' का दायित्व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होगा, अनुपूरक सूचियों की मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन्हें ग्राम पंचायतवार मूल सूचियों के साथ संलग्न किया जाए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमांक डाला जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत की अनुपूरक सूची के अंत में सहायक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर करके और पदनाम की मोहर लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए।

यदि किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन न भी किया गया हो तब भी उसके अंत में एक निरंक प्रविष्टि वाली अनुपूरक सूची जोड़ी जाए और उसे सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाए अर्थात् उसमें पृष्ठ क्रमांक दर्ज करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

4. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशनः–

(i) उस तारीख को जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूची का प्रकाशन आवश्यक है। इस हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, **परिशिष्ट–अठारह** में दिये गये प्ररूप में एक नोटिस लगाया जाए। उक्त कार्यवाही के साथ–साथ, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रत्येक विकासखंड से संबंधित ''सेट'' (Set) के **प्रथम पृष्ठ** में अपने हस्ताक्षर और पदनाम की मोहर के अंतर्गत निम्नानुसार एक प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाएः–

''प्रमाणित किया जाता है कि विकासखंड.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए तारीख 01 जनवरी.....के सन्दर्भ में तैयार की गई मतदाता सूची की यह अंतिम रूप से प्रकाशित सूची है। तारीख .... स्थान ..... मोहर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(ii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अर्थात् उप जिला निर्वाचन अधिकारी) द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के विकासखंडवार दो सेट्स संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) को उपलब्ध कराए जाएं और शेष प्रतियां भावी उपयोग और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएं।

(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् ऐसी लिपिकीय तकनीकी एवं मुद्रण संबंधित त्रुटि, जो सहज दृश्यमान हों, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय के पूर्व तक सुधारी जा सकती है. इस स्थिति के सिवाय निर्वाचन की प्रकिया पूर्ण हो जाने तक, मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

*****

अध्याय–8

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

1. निर्वाचन नियम, 12 (5) के प्रावधान के अनुसार सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके आदेश के पांच दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील परिशिष्ट–उन्नीस में दिये गये प्ररूप में, विवादित आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इस प्ररूप की प्रतियां सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कार्यालय में पहिले से ही, पर्याप्त संख्या में चक्रमुद्रित या मुद्रित कराके रखी जाएं और अपील करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, मांग करने पर, एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदाय की जाए।

2. अपील प्रस्तुत होते ही अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित की जाए और तत्काल संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मूल अभिलेख तलब किया जाए। संबंधित अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह संगत अभिलेख उसी दिन, अपील प्राधिकारी के पास पहुंचाए. अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि अपील प्राधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा।

3. अपील प्राधिकारी का यह प्रयास होना चाहिए कि निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन–पत्र दाखिल किये जाने का कार्य प्रारंभ होने के पहले ही उसके पास विचाराधीन सभी अपील–प्रकरणों का निराकरण हो जाए।

अपील प्राधिकारी के आदेश पर मतदाता सूची में संशोधन की कार्यवाही :

4. यदि अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश की एक प्रति के साथ (मूल अभिलेख) तुरन्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज दिया जाए, अपील मान्य किये जाने की स्थिति में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम ''प्रकरण रजिस्टर'' (परिशिष्ट–पन्द्रह) के अन्त में अपने हाथ से आवश्यक प्रविष्टि की जाएं और उसके नीचे अपील प्रकरण का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाएं तत्पश्चात् सुसंगत अनुपूरक मतदाता सूची (परिशिष्ट–सत्रह) के अंत में आवश्यक प्रविष्टि की जाए और उसे अभिप्रमाणित करते हुए उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किये जाए और पदनाम की मोहर लगाई जाए।

अपील प्राधिकारी के केवल ऐसे आदेश के अंतर्गत मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए, जो निर्वाचन नियम–28 के अंतर्गत जारी की गई सूचना में नामनिर्देशन के लिए नियत अंतिम तारीख तथा समय के पूर्व प्राप्त हो जाए। उसके बाद प्राप्त किसी आदेश पर, तब तक मतदाता सूची में संशोधन न किया जाए जब तक कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाए अर्थात् निर्वाचन का परिणाम घोषित न हो जाए।

*****

अध्याय–9

प्रकीर्ण

1. मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कागज–पत्रों की अभिरक्षा :

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, प्राप्त दावे और आपत्तियों और उन पर सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के आदेश, स्वप्रेरणा, से प्रारंभिक मतदाता सूची में किये गये संशोधनों से संबंधित कागज–पत्र तथा 'प्रकरण रजिस्टर' आदि कागज–पत्र मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के तुरन्त बाद ठीक से व्यवस्थित करके जिला निर्वाचन अधिकारी को, लेखागार में संरक्षित रखे जाने के लिये भेज दिये जाएं। ऐसे कागज–पत्र तब तक संरक्षित रखे जाएं जब तक कि मतदाता सूची में आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाए।

2. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण तथा उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति जारी करना:

कोई भी व्यक्ति दो रूपए की फीस का नगद भुगतान करके, जिसके लिये उसे रसीद दी जाएगी, अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण की सुविधा प्रत्येक तहसील में तहसीलदार के कक्ष में और जिला स्तर पर उप–जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में उपलब्ध कराई जाए।

कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची के किसी अंश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार है। प्रमाणित प्रति उक्त कार्यालय से उतनी ही फीस का नकद भुगतान करने पर तथा उसी प्रक्रिया का अनुसरण करके प्रदाय की जाए, जो कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के प्रदाय के लिये निर्धारित है।

3. मतदाता सूचियों की बिक्री:

बिक्री के प्रयोजन के लिये ग्राम पंचायत की पूरी मतदाता सूची को एक ''इकाई'' (यूनिट) माना जाए और उसे छोटे भागों (अर्थात् वार्डवार टुकड़ों) में नहीं बेचा जाए। विक्रय, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत, तत्समय प्रभावशील दर पर किया जाए और विक्रय से प्राप्त राशि कोषालय में निम्नांकित मद में जमा की जाए:–

मद क्रमांक 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–02–चुनाव–800–अन्य प्राप्तियां–राज्य चुनाव आयोग की प्राप्तियां।

*****

मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का उद्धरण

ग्राम के संबंध में अधिसूचना

3. राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा।

ग्राम की मतदाता सूची

4. धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जाएगी।

ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण

5. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो उस ग्राम का मामूली तौर से निवासी है, उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगाः

परन्तु –

(क) कोई व्यक्ति एक से अधिक ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा;

(ख) कोई व्यक्ति मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा, यदि वह किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

स्पष्टीकरण – (1) अभिव्यक्ति ''मामूली तौर से निवासी'' का अर्थ वही होगा जो उसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का सं 43) की धारा 20 में दिया गया है किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि उसमें किया गया ''निर्वाचन क्षेत्र'' के प्रति–निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जायेगा कि वह ''ग्राम'' के प्रति निर्देश है।

(2) कोई व्यक्ति किसी ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह विधानसभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए निरर्हित है।

2. *उपरोक्त धाराओं में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है–*

(1) विधानसभा निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए निरर्हता, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें तथा ''मामूली तौर से निवासी'' का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 से 20 में वर्णित है। इन धाराओं के उद्धरण इस परिशिष्ट के साथ जोड़े गए अनुलग्नक में दिए गए है।

(2) ''स्थानीय प्राधिकारी'' को अधिनियम की धारा 2 (दस) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः–

''स्थानीय प्राधिकारी'' का वही अर्थ होगा जो उसे छत्तीसगढ़ साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) में दिया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अंतर्गत निर्वाचक नामावलियां तैयार करने से संबंधित धारा 16 से 20 का उद्धरण

16. *निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए निरर्हताएं*–(1) यदि कोई व्यक्ति–

(क) भारत का नागरिक नहीं है, अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित है,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है:

[परन्तु किसी निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः स्थापित कर दिया जाएगा।]

17. *एक से अधिक निर्वाचन–क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा*– एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार न होगा।

18. *किसी निर्वाचन–क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा*– किसी निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

19. *रजिस्ट्रीकरण की शर्तें*– इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो–

(क) अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तथा

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार होगा।

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ–[(1) किसी व्यक्ति के बाबत् केवल इस कारण कि वह निर्वाचन–क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1क) अपने मामूली निवास–स्थान में अपने आप को अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत् केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1ख) संसद का या किसी राज्य के विधान–मण्डल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपनी निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत् इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन–क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण न किए होता तो वह, उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि यदि मेरी सेवा अर्हता न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण न किए होता, जैसा उपधारा (4) निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के आभाव में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन–क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय

सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

(8) उपराधाराओं (3) और (5) में ''सेवा अर्हता से''–

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबन्ध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।

*****

मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 का उद्धरण

अध्याय–4

मतदाता सूची

9. मतदाता सूची का तैयार किया जानाः–(1) आयोग, धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की सूची हिन्दी में प्ररूप–1 में तैयार करवाएगा।

(2) आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में पचायतों के लिये मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा उसकी सहायता के लिये आवश्यकतानुसार एक या अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करेगा।

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों को करने के लिए सक्षम होगा।

10. *दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशनः*–(1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए दावे तथा उसमें किसी प्रविष्टि पर आपत्तियां आमंत्रित करने ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए, सार्वजनिक सूचना देगा तथा सूचना को–

(क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत, और

(ग) वह जनपद पंचायत जिसके भीतर ग्राम पंचायत स्थित है,

के कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित कराएगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वे कार्यालय, जहां पर आपत्तियां या दावे दाखिल किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) उप–नियम (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन के साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची की एक प्रति जनता द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए, सूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम पांच दिन की कालावधि के लिए अपने कार्यालय तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध कराएगा।

(4) मतदाता सूची की प्रति किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसा कि आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करें, प्रदाय की जाएगी।

11. दावे तथा आपत्तियांः—(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर या अशुद्ध विशिष्टियों सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी भी व्यक्ति के नाम को उस सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम 10 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अन्तिम दिन को अधिक से अधिक 3 बजे अपरान्ह तक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति ऐसे प्ररूप में जैसा कि आयोग द्वारा विहित किया जाए प्रस्तुत की जाएगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को जो उसके द्वारा इस निमित्त नामांकित किया जाए, पेश की जाएगी।

(3) कोई दावा या आपत्ति ऐसे दस्तावेजों सहित होंगे जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है।

12. दावों तथा आपत्तियों का निपटाराः—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर, आपत्तिकर्ता को निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करायेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा।

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अपील में, यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी।

(5) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी। अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के मान्य किए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए संशोधित करें। अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन, नियम 28 के अधीन जारी की गई सूचना में नाम निर्देशन के लिये नियत की गई अन्तिम तारीख और समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायेगा।

13. प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना.— जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रूपये फीस का भुगतान करने पर नियम 12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां उतनी फीस का भुगतान करने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेंगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है।

14. मतदाता सूची की अवधि तथा उसका पुनरीक्षण.—(1) नियम 12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उपनियम (2) या उपनियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची, उस वर्ष की जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रति निर्देश से,—

(एक) पंचायतों के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी पंचायत में स्थान भरने के लिए प्रत्येक उपनिर्वाचन के पूर्व।

पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी।

(3) उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उपनिर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा, यदि ऐसा उपनिर्वाचन उस केलेण्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है:

परन्तु आयोग, ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उपनिर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 12 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसका निरन्तर प्रवर्तन में रहना उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिये जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा।

15. *मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.*— नियम 15—क के उपबंध के अध्यधीन रहते हुए नियम 12 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम दिये जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार, समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगाः

परन्तु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख को देखते हुए ही दृष्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 28 के अधीन नाम–निर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी।

"15–क. कपितय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जानाः–(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि नियम 12 के अधीन पंचायत की मतदाता सूची को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् उसमें से किसी व्यक्ति का नाम का इस आधार पर विलोपित किया जाना चाहिए कि वह सम्बद्ध व्यक्ति किसी अन्य पंचायत या किसी नगरपालिका की मतदाता सूची में पंजीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देश यदि कोई हो, के अध्यधीन रहते हुए ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगाः

परन्तु इस निमित्त कोई कार्रवाई करने के पहले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई की बाबत् सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन किसी पंचायत के वार्ड या उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर वह वार्ड समाविष्ट है, से निर्वाचन के लिये नियम 28 के अधीन जारी सूचना में नाम–निर्देशन के लिये नियत अन्तिम तारीख के पश्चात् और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जायेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप–नियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय से 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा।

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् अपील कर उपयुक्त आदेश पारित करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।"

16. कागज–पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जानाः– नियम 10 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची, नियम 11 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां, उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित, तथा नियम 15–क के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित कागज पत्र तक, जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता, जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेख कोष्ठ में परिरक्षित रखे जाएंगे और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जायेगा।

*****

आधार पत्रक

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित ''विधान सभा निर्वाचक नामावली'' में सम्मिलित ग्राम और मकान

विकासखण्ड..... ग्राम पंचायत का नाम .....

ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामः–

(1)..... (2)..... .(3).....

विधान सभा निर्वाचक नामावली का भाग अनुक्रमांक	सम्मिलित ग्राम का नाम	मकानों का नंबर (क्र.....से.....तक)	मतदाताओं की कुल संख्या
.....	1. ..... 2. ..... 3.	....	....
		योग	.....

वार्डों का ब्यौरा

क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्ड क्रमांक	वार्ड के अन्तर्गत आने वाले मकान और मतदाता		
			मकानों के नम्बर (.....से.....तक)	मतदाताओं की कुल संख्या	
			योग	.....	

परिशिष्ट–चार
वर्ष .....

मतदाता सूची

ग्राम पंचायत.....खण्ड.....जिला.....

ग्राम पंचायत में वार्डों की कुल संख्या.....

मतदाता सूची का सार विवरण

मतदाता सूची सार विवरण–

वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	गृह क्रमांक	मतदाता	कुल मतदाता
		क्र.....से.....तक	क्र.....से.....तक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रतनपुर	01 से 15	01 से 80	80
2.	रतनपुर	16 से 41	81 से 156	76
3.	सिमरिया	01 से 42	157 से 249	92
4.	हर्दी	01 से 34	250 से 336	86
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
12				
अनुपूरक सूची में सम्मिलित मतदाताओं की संख्या				
मूल सूची में सम्मिलित मतदाताओं की कुल संख्या				

दावों तथा आपत्तियों के निराकरण के पश्चात (अनुपूरक सूची के आधार पर) मूल सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि या कमी – वृद्धि .....(+)..... कमी .....(–)..... सकल वृद्धि या कमी (+)..... (–).....	.....
(पुनरीक्षित) सूची में शामिल कुल मतदाता	.....

ग्राम पंचायत–रतनपुर

अनु. क्र.	गृह क्र. (यदि हो तो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पु./म.	आयु (वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1	रामचरण	बुद्ध	पु.	35
2.		रूकमाबाई	रामचरण	म.	32
3.		रामकृष्ण	रामचरण	पु.	22
4.		मुन्नीबाई	रामकृष्ण	म.	20
5.		लखमीचंद	वृद्धा	पु.	23
6.		मिथिलेश	लखमीचंद	म.	20

अनु. क्र.	गृह क्र. (यदि हो तो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पु./म.	आयु (वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	2	मथुरा	ख्यालीराम	पु.	36
8.		मुन्नीबाई	मथुरा	म.	32
9.		खुमना	ख्याली	पु.	33
10.		चंदाबाई	खुमना	म.	30
11.		रामसिंह	ख्यालीराम	पु.	30
12.		सरजूबाई	रामसिंह	म.	28
13.		धन्नूराम	ख्यालीराम	पु.	25
14.		गीता	धन्नूराम	म.	22
15.		तुलसीबाई	ख्यालीराम	म.	65
16.		भेरोलाल	रामलाल	पु.	50
17.		ग्यासो	भैरोलाल	म.	48
18.		मुन्ना	भैरोलाल	पु.	30
19.		लक्ष्मीबाई	मुन्ना	म.	25
20.		सीताराम	भैरालाल	पु.	26
21.		रामकली	सीताराम	म.	35
22.		प्रेमनारायण	भैरोलाल	पु.	25
23.		कांताबाई	प्रेमनारायण	म.	22
24.		मोहनलाल	भैरोलाल	पु.	18
25.	4	अमरचंद	पन्नालाल	पु.	50
26.		चम्पालाल	टमरचंद	पु.	30
27.		रामप्यारी	चम्पालाल	म.	28
28.	5	काशीराम	श्यामलाल	पु.	50
29.		रामकली	काशीराम	म.	30
30.	"क"	निवाजोखां	रोशनखां	पु.	45
31.	5"क"	असगरीबाई	निवाजोखां	म.	40
32.		अजीजखां	निवाजोखां	पु.	25
33.		सलीमखां	निवाजोखां	पु.	28
34.		सायराबानो	सलीमखां	म.	25
35.	6	गोविंदी	प्रकाशसिंह	पु.	40
36.		इमरतनबाई	गोविन्दी	म.	38
37.		चम्पालाल	गोविन्दी	पु.	20
38.		सविताबाई	चम्पालाल	म.	18
39.	7	जमुनालाल	मंगलसिंह	पु.	55
40.		हरकुंवरबाई	जमुनालाल	म.	50
41.		गोपालसिंह	जमुनालाल	पु.	30
42.		सखीबाई	गोपालसिंह	म.	28
43.		पूरनसिंह	जमुनालाल	पु.	27
44.		मुन्नीबाई	पूरनसिंह	म.	25
45.		रघुवीरसिंह	नालाज	पु.	25
46.		विमलाबाई	रघुवीरसिंह	म.	22
47.		प्रकाशसिंह	जमुनालाल	पु.	22
48.		उमाबाई	प्रकाशसिंह	म.	20
49.		रमेशकुमार	जमुनालाल	पु.	19
50.	8	रामभरोसा	सख्या	पु.	42
51.		भूमियाबाई	रामभरोसा	म.	40
52.		जगन्नाथसिंह	रामभरोसा	पु.	22
53.		गुड्डीबाई	जगन्नाथसिंह	म.	20
54.		देवसिंह	सख्या	पु.	35
55.		मुन्नीबाई	देवसिंह	म.	32
56.	9	चंदनसिंह	सुल्तानसिंह	पु.	35
57.		गुलाबबाई	चंदनसिंह	म.	30
58.		भगतसिंह	सुल्तानसिंह	पु.	27
59.		सरूपीबाई	भगतसिंह	म.	25
60.	10	ख्यालीराम	गनेशाराम	पु.	45
61.		सरमनिया	ख्यालीराम	म.	42
62.	11	करनसिंह	श्रामलाल	पु.	65
63.		भोगीराम	करनसिंह	पु.	25
64.		पुनियाबाई	भोगीराम	म.	23
65.		बोरा	फेरन	पु.	26
66.	12	नारायणसिंह	नत्था	पु.	32
67.		सुशीला	नारायण	म.	30
68.		मोहनसिंह	नत्था	पु.	28
69.		मुनिम सिंह	नत्था	पु.	22
70.	13	जुगरू	जालम	पु.	50
71.		जुगरू	जालम	पु.	50
72.		चतुरी	जुगरू	म.	48
73.		मोहनसिंह	जुगरू	पु.	25
74.		कमलाबाई	मोहनसिंह	म.	23
75.		बालचंद्र	जुगरू	पु.	23
76.		मुलियाबाई	बालचन्द्र	म.	22
77.		प्रकाश	जुगरू	पु.	18
78.	14	लक्ष्मण	खेसिगा	पु.	40
79.		पुनिया	लक्ष्मण	म.	35
80.	15	गंगोबाई	कन्हैया	म.	30
		वार्ड क्रमांक–2 (ग्राम–रतनपुर)			
81.	16	किलोल	गुलाब	पु.	40
82.	17	अर्जुना	अमना	पु.	55
83.		रमको	अर्जुना	म.	51

अनु. क्र.	गृह क्र. (यदि हो तो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पु./म.	आयु (वर्ष)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84.		किसन	अर्जुना	पु.	21
85.		सीता	किसन	म.	18
86.		परवत	अर्जुना	पु.	20
87.		पिस्ताबाई	परवत	म.	18
88.	18	शुक्का	मानसिंगा	पु.	30
89.		कस्तुरी	शुक्का	म.	25
90.	19	बदलू	जुगरा	पु.	53
91.		कंचन	बदलू	म.	48
92.		मुन्ना	बदलू	पु.	26
93.	20	कमल	दरूआ	पु.	25
94.		पचिया	कमल	म.	20
95.	21	पारीक्षत	मथुरा	पु.	45
96.		लिमया	पारीक्षत	म.	40
97.	22	काशीराम	बरउआ	पु.	30
98.		रभको	काशीराम	म.	25
99.	23	दरउआ	गणेशा	पु.	52
100.		कुईया	दरउआ	म.	49
101.	24	गनपत	प्रभू	पु.	40
102.		गुमनो	गनपत	म.	35
103.	25	हरीराम	भमरा	पु.	30
104.		मुन्नीबाई	हरीराम	म.	25
105.	26	बल्ली	हरसीगा	पु.	35
106.		भग्घो	बल्ली	म.	30
107.		दयाचन्द्र	बलदेवा	पु.	39
108.	27	छोटा	मगलिया	पु.	45
109.		सदियाबाई	छोटा	म.	40
110.		कल्याणसिंह	छोटा	पु.	20
111.		रामकली	कल्याणसिंह	म.	18
112.		प्रेम	छोटा	पु.	21
113.		जानकी	प्रेम	म.	18
114.	28	पीतम	श्यामलाल	पु.	25
115.		भूनियाबाई	पीतम	म.	20
116.		बदला	श्यामलाल	पु.	18
117.	29	बाबू	खूबसिंह	पु.	28
118.		रामप्यारी	बाबू	म.	25
119.		कोमल	खूबसिंह	पु.	20
120.		अमनिया	कोमल	म.	18
121.		चम्पालाल	खूबसिंह	पु.	25
122.		कमला	चम्पालाल	म.	20
123.	30	परमा	घसीटा	पु.	30
124.		रामसिंह	परमा	पु.	20
125.		गोमती	रामसिंह	म.	18
126.	31	रामचरण	चेता	पु.	25
127.		चम्पीबाई	रामचरण	म.	20
128.	32	हीरा	चेता	पु.	20
129.		मिन्दाबाई	मुन्ना	म.	20
130.		कैलाश	बदलू	पु.	20
131.		विमला	कैलाश	म.	18
132.	33	मुन्ना	बदलू	पु.	25
133.		गिन्दाबाई	पन्ना	म.	20
134.	34	रामलाल	पदमा	पु.	40
135.		मोहनिया	रामलाल	म.	35
136.	35	शिवचरण	बालमुकुन्द	पु.	44
137.		सुशीलबाई	शिवचरण	म.	41
138.	36	हरिशंकर	बसंतराम	पु.	35
139.		कांताबाई	हरिशंकर	म.	30
140.	37	नत्थू	खुमना	पु.	40
141.		प्रेम	नत्थु	म.	35
142.	38	अमरसिंह	इमरतसिंह	पु.	36
143.		शांति	अमरसिंह	म.	31
144.		प्रभातचंद्र	अम्बिकाप्रसाद	पु.	32
145.		प्रीतम	गनपत	पु.	65

परिशिष्ट–पांच

पंचायतों की मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,.....

स्थान..... तारीख.....

पूर्व सूचना

छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के उपबन्धों के अंतर्गत विकासखंड..... के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तारीख.....से तारीख..... तक निम्नांकित केन्द्रों (स्थानों) पर आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगीः–

(1) कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,.....स्थान..... (विकासखंड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां)

(2) कार्यालय जनपद पंचायत.....स्थान.....(विकासखंड के अन्तर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां)

(3) कार्यालय, ग्राम पंचायत.....विकासखण्ड..... (संबंधित ग्राम की मतदाता सूची)

2. कोई भी व्यक्ति जो तारीख 01 जनवरी के सदंर्भ में, मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में तारीख.....से, कार्यालय समय के दौरान कभी भी, परन्तु तारीख..... को जो, कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है, अपरान्ह 3.00 बजे तक उपरोक्त केन्द्रों (स्थानों) पर तैनात प्राधिकृत कर्मचारी को या सीधे मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।

हस्ताक्षर

मोहर

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत).....

स्थान.....

क्रमांक..... दिनांक.....

आदेश

विषय.–पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में नियुक्ति।

निम्नांकित कर्मचारियों को विकासखण्ड.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता के लिये नामनिर्दिष्ट और प्राधिकृत किया जाता है।

2. प्राधिकृत कर्मचारी उक्त मतदाता सूची का आम लोगों को निरीक्षण कराने, दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित फार्म (प्ररूप) उपलब्ध कराने तथा फार्म भरने में मार्गदर्शन देने और प्रस्तुत दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त कर उन्हें आवश्यक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के साथ संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने का कार्य करेंगेः–

क्रमांक	प्राधिकृत कर्मचारी का विवरण		क्षेत्र का विवरण	कार्यालय/स्थान जहां बैठकर सौंपा गया कार्य करेंगे	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके साथ सम्बद्ध रहेंगे
	नाम	पदनाम एवं कार्यालय			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मोहर

.....
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत).

क्रमशः..

प्रतिलिपिः

(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .....

(2) तहसीलदार/अपर तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी विकासखण्ड.....

(3) संबंधित कर्मचारी .....द्वारा (संबंधित कार्यालय प्रमुख)..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। वे कृपया दिनांक.....को प्रातः/अपरान्ह..... बजे स्थान.....पर उपस्थित हों, जहां उन्हें सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उनके कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी तथा आवश्यक निर्देश पुस्तिकाएं एवं फार्म आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि–

(1) मतदाता सूची का निरीक्षण कराने और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिये जिस स्थान/कार्यालय में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहां उन्हें प्रत्येक कार्यकारी दिन प्रातः 10.00 बजे से लेकर अपरान्ह 5.00 बजे तक निरन्तर उपस्थित रहना है। इसमें कोताही एक गंभीर कदाचरण माना जाएगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(2) प्रकाशित सूची, फार्म्स और अन्य कागज–पत्रों को वे संभालकर रखें। उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिये वे स्वयं पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।

(3) वे अपेक्षित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और वांछित जानकारियां समय पर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करें।

(4) .....(संबंधित कार्यालय प्रमुख) को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया उपरोक्त कर्मचारी को दिनांक.....से दिनांक.....तक उसकी सामान्य ड्यूटी से मुक्त रखें। इस अवधि के पूर्व भी उसे प्रशिक्षण आदि के लिये जब बुलाया जाए, बराबर उपस्थित होने के लिए ताकीद करें।

.....
हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.
वास्ते जिला निर्वाचन अधिकारी

*****

परिशिष्ट–सात

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के आदेश का प्ररूप

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत).....

स्थान.....

क्रमांक..... दिनांक.....

आदेश

विषय.– पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने के लिये सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

निम्नांकित राजस्व अधिकारियों को, खंड.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिये, पदेन सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता हैः–

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा (राजस्व विभाग में धारित) पदनाम	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें	
		खण्ड	ग्राम पंचायतों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
			(खण्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतें/संलग्न सूची में उल्लिखित ग्राम पंचायतें)

उपर्युक्त अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री.....
पदनाम.....के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

मोहर

.....
हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

प्रतिलिपिः

(1) संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं.....(राजस्व विभाग में धारित पदनाम) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित। उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवश्यक फार्म्स/सामग्री और निर्देश पुस्तिका क्रमशः उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विकासखंड अधिकारी.....को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, इस कार्य में (स्टाफ/संसाधनों आदि के संबंध में) पूरा सहयोग दें।

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).....को सूचनार्थ अग्रेषित। वे कृपया इस कार्य के संपादन में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों का तत्परता से निराकरण कराए।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.....को सूचनार्थ अग्रेषित।

.....
हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की सूचना
(नियम 10(1) के अंतर्गत विहित प्ररूप)

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

स्थान..... तारीख.....

सेवा में,

जिला.....के अंतर्गत आने वाली

ग्राम पंचायतों के मतदातागण।

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुसार जिला.....के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के मतदाता की मतदाता सूची तैयार हैं और आम लोगों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची 1 जनवरी.....के आधार पर तैयार की गई है।

3. कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीख के संदर्भ में, किसी ग्राम के मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिये दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस संबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्ररूप (फार्म) में आज तारीख.....से कार्यालय समय के दौरान कभी भी परन्तु तारीख.....को, (जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की आखरी तारीख है) अपरान्ह 3.00 बजे तक नीचे वर्णित कार्यालयों/केन्द्रों में प्रस्तुत कर सकता है। विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत किये गये दावे या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

मोहर

.....

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

कार्यालयों/केन्द्रों की सूची

जहां मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध है और जहां दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं:–

1. कार्यालय, ग्राम पंचायत.....(संबंधित ग्राम पंचायत के बाबत्)

2. कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत.....(संबंधित किसी भी ग्राम पंचायत के बाबत्)

3. कार्यालय, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/अपर तहसीलदार.....
.....(खंड की किसी भी ग्राम पंचायत के बाबत्)

'टीप.– (1) उपनिर्वाचन के संदर्भ में: इस कॉलम में केवल ऐसी ग्राम पंचायतों का उल्लेख करें।

(i) जिनमें सरपंच या पंच के रिक्त स्थान को भरने के लिए उप निर्वाचन होना है,

(ii) जो जनपद पंचायत के उस रिक्त निर्वाचन–क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसके लिए उप निर्वाचन होना है, या

(iii) जो जिला पंचायत के उस रिक्त निर्वाचन–क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसके लिए उप निर्वाचन होना है।

(2) साधारण निर्वाचन (आम चुनाव) के संदर्भ में; इस कॉलम में निम्नानुसार उल्लेख करें:

"खण्ड के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतें."

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिये दावा–आवेदन
(नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप–क'')

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

ग्राम पंचायत.....विकासखंड.....जिला.....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

मेरा नाम (पूरा).....पुरूष/स्त्री.....पिता/पति का नाम.....गृहक्रमांक.....ग्राम..... विकासखण्ड.....जिला.....

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसारः–

(1) मैं भारत का/की नागरिक हूं.

(2) गत 1 जनवरी को मेरी आयु .....वर्ष और .....मास थी।

(3) मैं ऊपर दिये गये पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूं।

(4) मैंने उक्त ग्राम पंचायत के किसी अन्य वार्ड के लिये मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिये आवेदन नहीं किया है।

(5) उक्त ग्राम पंचायत या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

*मेरा नाम ग्राम/नगर.....जिला.....जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर

पहले सामान्यतः निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाएः–

*ग्राम.....वार्डक्रमांक.....ग्राम पंचायत.....विकासखण्ड.....जिला.....

*नगर.....वार्डक्रमांक.....तहसील.....जिला.....

स्थान..... .....

तारीख..... दावेदार के हस्ताक्षर या

अंगूठे का निशान

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

दावे का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें सम्मिलित किए जाने के लिये दावेदार ने आवेदन किया है। मेरा नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्डक्रमांक.....की मतदाता सूची में क्रमांक.....पर दर्ज है। मैं इस दावे का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

.....

समर्थक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

टिप्पणीः– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

.....

तारीख..... हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो ग्राम.....

का/की निवासी है, से प्ररूप–क में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख.....

प्राधिकृत अधिकारी.....
ग्राम पंचायत.....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की टीपः–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

.....

.....

.....

.....

. . . . . .

तारीख .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी
(नाम.....)
ग्राम पंचायत.....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, द्वारा ''प्ररूप–क'' में प्रस्तुत आवेदन को–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका नाम उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक..... की मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया हैः–

.....

.....

मोहर

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्ररूप–ख

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति
(नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप–ख'')

सेवा में,
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
ग्राम पंचायत ....जिला.................
महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि उक्त नगर के वार्ड क्रमांक........................के भाग क्रमांक.................. मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो क्रमांक................पर ''..............................'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएः–

....

....

स्थान.............. . . . .

तारीख............. मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा नाम........................

टिप्पणीः– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख............................

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख............. . . . .

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप–ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान..... में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी.। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख .....

प्राधिकृत कर्मचारी .....
ग्राम पंचायत .....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की टीपः–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच–पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

.....

.....

तारीख .....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी .....
(नाम .....)
ग्राम पंचायत .....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, द्वारा प्ररूप–ख में प्रस्तुत आवेदन को–

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसका सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगीः–

.....

.....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया हैः–

.....

.....

मोहर

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्ररूप–ग

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति

(नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित ''प्ररूप–ग'')

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

ग्राम पंचायत ..... विकासखंड.....जिला.....

महोदय,

मैं, उपरोक्त नगर की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक.....के भाग क्रमांक.....में क्रमांक.....पर श्री/श्रीमती/कुमारी.....का नाम सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूं:–

.....

.....

2. मैं, घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। उक्त वार्ड की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हुआ है:–

पूरा नाम .....पुरूष/स्त्री.....पिता/पति का नाम.....वार्ड क्रमांक..... मतदाता क्रमांक.....

तारीख .....

.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

पूरा डाक पता .....

आपत्ति का समर्थन

मैं उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है। मेरा नाम वार्ड क्रमांक.....की मतदाता सूची में क्रमांक.....पर दर्ज है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूं और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूं।

तारीख .....

.....

मतदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

टिप्पणी.– जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख.....

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

. . . . . .

तारीख..... हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, से प्ररूप–ग में आवेदन प्राप्त हुआ।

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान.....में स्थित अपने कार्यालय में तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी। वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

प्राधिकृत कर्मचारी .....

तारीख ..... ग्राम पंचायत .....

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्राधिकृत कर्मचारी की रिपोर्टः–

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक पूछ–ताछ के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी .....

तारीख ..... (नाम .....)

ग्राम पंचायत .....

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक..... तारीख.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....का/की निवासी है, द्वारा ''प्ररूप–ग'' में प्रस्तुत आवेदन को,–

(क) स्वीकार कर लिया गया है कि उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक..... .....में क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती.....के नाम को निकाल दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया हैः–

.....

.....

मोहर

.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–बारह

ग्राम पंचायत.....विकासखण्ड.....

दावे और आपत्तियों का दैनिक विवरण

तारीख.....

भाग–1–दावे
(नाम जोड़ने के लिए)

क्रमांक	दावेदार का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड और ग्राम का विवरण जिसमें नाम जोड़े जाने का दावा किया गया है		जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	भाग क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग–2–आपत्ति
(प्रविष्टियों के संशोधन के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसमें संशोधन किया जाना है			जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग–3–आपत्ति
(नाम विलोपित किए जाने के लिए)

क्रमांक	आपत्तिकर्ता का नाम तथा पिता/पति का नाम	प्रविष्टि का विवरण जिसे विलोपित किया जाना है				जांच/सुनवाई के लिए निर्धारित पेशी तारीख
		मतदाता का नाम तथा पिता/पति का नाम	वार्ड क्रमांक	ग्राम	प्रविष्टि क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

कार्य स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत कर्मचारी

परिशिष्ट–तेरह

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

प्रकरण क्रमांक.....

स्थान.....
तारीख.....

प्रति,

.....
.....
.....

विषय.–ग्राम पंचायत.....की मतदाता सूची से नाम हटाया जाना।

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से आपका नाम निम्नांकित आधार पर हटाए जाने का प्रस्ताव हैः–

.....

.....

.....

(2) एतद्द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप कारण बताएं कि आपके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाए? आपका उत्तर मेरे पास निम्नांकित कंडिका में अंकित तारीख और समय तक पहुंच जाना चाहिए।

(3) यदि आप मामले में व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हों तो, ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप अपने अभ्यावेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहें, तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

निर्धारित समयोपरान्त प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर

हस्ताक्षर .....
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(नाम.....)

परिशिष्ट–चौदह

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

क्रमांक.....

स्थान.....
तारीख.....

विषय.–ग्राम पंचायत.....की मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाना।

सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, निम्नांकित तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम असावधानीवश छूट गये हैं, जिन्हें सूची में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसे इन नामों को शामिल किये जाने के संबंध में कोई आपत्ति हो, वह ऐसा कर सकता है और तारीख.....को समय 10.30 बजे प्रातः स्थान.....में स्थित मेरे कार्यालय में आवश्यक साक्ष्य के साथ, सुनवाई के लिये उपस्थित हो सकता है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मोहर

हस्ताक्षर . . . . . .
सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
(नाम .....)

तालिका

क्रम संख्या	मतदाता का नाम और पिता/पति का नाम	वार्ड का विवरण		
		वार्ड क्रमांक	ग्राम	गृह क्रमांक

परिशिष्ट–पन्द्रह

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

खण्ड.....के ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची.....वर्ष.....

दावे और आपत्तियों का प्रकरण रजिस्टर

दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख	ग्राम पंचायत का नाम	प्रकरण की शीर्ष और क्रमांक		परिवर्धन/संशोधन/विलोपन से संबंधित व्यक्ति का विवरण				प्रकरण में पारित आदेश		सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
		शीर्ष	क्रमांक	नाम और पिता/पति का नाम	मतदाता सूची से			तारीख	दावा/ आपत्ति स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत?	
					वार्ड क्रमांक	ग्राम	सरल क्रमांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

'टीप– (1) दावा/आपत्ति के प्ररूप (फार्म) के अनुसार ही, शीर्ष के अंतर्गत ''क'', ''ख'' या ''ग'' लिखा जाए।

(2) प्राधिकृत कर्मचारियों से तारीखवार प्राप्त दावे और आपत्तियों पर तथा स्वप्रेरणा से दर्ज प्रकरणों में (यदि कोई हों) तारीखवार, बढ़ते हुए क्रम में, क्रमांक डाले जाएं और उसी क्रमांक को प्रकरण का ''क्रमांक'' शीर्ष के अंतर्गत लिखा जाए।

परिशिष्ट–सोलह

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....

प्रकरण क्रमांक..... स्थान.....

तारीख.....

प्रति,

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

.....

.....

.....

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि विकासखण्ड.....की ग्राम पंचायत.....की मतदाता सूची में, वार्ड क्रमांक.....(ग्राम.....) के अंतर्गत सरल क्रमांक.....पर आपका नाम शामिल किए जाने पर/आपसे संबंधित प्रविष्टि के कुछ दौरे पर, निम्नांकित मतदाता ने आपत्ति की है:–

(आक्षेपित व्यक्ति का नाम और पता)

.....

.....

.....

आपत्ति के आधार पर, संक्षेप में, इस प्रकार हैं:–

.....

.....

.....

2. उपरोक्त आपत्ति पर मेरे द्वारा तारीख.....को समय 10.30 प्रातः मेरे कार्यालय में, जो कि स्थान.....में स्थित है, सुनवाई की जाएगी ।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के साथ जो आप प्रस्तुत करना चाहें, उक्त सुनवाई के समय उपस्थित हों। अन्यथा मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करके उसका निराकरण कर दिया जाएगा।

मोहर

हस्ताक्षर.....

(नाम.....)

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील (आक्षेपित व्यक्ति का नाम)..... पर वैयक्तिक रूप से या उसके निवास स्थान पर सूचना चस्पा करके आज तारीख..... को कर दी है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

(तामील करने वाला कर्मचारी)

नोट.– यदि सूचना की तामील डाक द्वारा की जाए तो रसीद इसके साथ संलग्न कर दी जाए।

सूचना की तामील

प्रकरण क्रमांक.....

सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख.....

हस्ताक्षर या अंगूठा निशान.....

(पूरा नाम.....)

(आक्षेपित व्यक्ति)

परिशिष्ट–सत्रह

अनुपूरक मतदाता सूची

ग्राम पंचायत.....(विकासखण्ड.....)

वर्ष.....

(1) परिवर्धनः

क्रमांक	वार्ड क्रमांक	ग्राम	गृह क्रमांक	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष या महिला	आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(2) संशोधनः

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि

(3) विलोपनः

मूल सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम

परिशिष्ट–अठारह

कार्यालय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिला.....

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना

जनसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला.....के विकासखण्ड.....के अंतर्गत आनेवाली ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुसार, 01 जनवरी.....के संदर्भ में संशोधनों सहित तैयार कर प्रकाशित कर दी गई हैं और मेरे कार्यालय तथा संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (अर्थात् तहसीलदार.....) के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

तारीख.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(पता.....

.....

****

परिशिष्ट–उन्नीस

सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील

(नियम 12(5) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित 'प्ररूप–घ')

स्थान.....
तारीख.....

प्रति,

अपील प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त/डिप्टी कलेक्टर.....
जिला.....

विषयः–सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ग्राम पंचायत.....(विकासखण्ड.....)
के आदेश क्रमांक.....तारीख.....के विरूद्ध अपील।

महोदय,

विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने के लिये नियुक्त प्रभारी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, श्री.....के संदर्भित आदेश से व्यथित होकर मैं, उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करता/करती हूं। विवादित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष मैंने निम्नांकित आपत्ति/दावा किया थाः–

.....

.....

.....

3. मेरी अपील के आधार निम्नांकित हैंः–

(1) .....

.....

(2) .....

.....

4. निवेदन है कि, मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का विवादित आदेश निरस्त किया जाए तथा मेरा दावा/मेरी आपत्ति स्वीकार की जाए।

यदि अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तो उसका विवरणः–

ग्राम.....

वार्ड क्रमांक.....

मतदाता क्रमांक.....

हस्ताक्षर (अपीलार्थी).....

नाम (पूरा).....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

.....

घोषणा

मैं ऊपर वर्णित अपीलार्थी यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार इस अपील की उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित कथन सत्य हैं।

.....

हस्ताक्षर (अपीलार्थी)

नाम (पूरा).....

संलग्न.– (1) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के आदेश की तारीख.....
की प्रतिलिपि.

(2) अपील के समर्थन में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज
(यदि कोई हो)

अपील की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

श्री/कुमारी/श्रीमती.....पिता/पति का नाम.....द्वारा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रभारी, ग्राम पंचायत.....के आदेश तारीख.....के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई, तारीख.....को प्रातः 10.30 बजे की जाएगी। अपीलार्थी आवश्यक साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय में उपस्थित हो।

मोहर

.....

हस्ताक्षर

अपील प्राधिकारी.....

तारीख.....